संख्या-डी-108 /38-2-10-2(59)डी0/04

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 28 सितम्बर, 2010

विषयः- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-डी-908/38-2-2004-2(59)डी/04, दिनांक 03-12-04 में रू0 2,00,000/-से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावों के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता/स्वीकृर्ता अधिकारी की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के रू0 2,00,000/-से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिहस्ताक्षरकर्ता/स्वीकर्ता अधिकारी निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार उक्त शासनादेश संख्या-डी-908/38-2-2004-2(59)डी/04, दिनांक 03-12-04 में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03-12-04 के प्रस्तर-1 की तालिका तथा प्रस्तर-2 में तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अंश और जोड़े जाते हैं :--

प्रस्तर-1-4	रू0 2,00,000/-से अधिक	मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं हैं, वहॉ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शासन के प्रशासकीय विभाग/ग्राम्य विकास द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से।

प्रस्तर-2 रू0 2,00,000/- से अधिक के चिकित्सा अग्रिम के मामले में प्रशासकीय विभाग/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-डी-908/38-2-2004-2(59)डी/04, दिनांक 03-12-04 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते एवं प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

28.9.10

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव।

<u>संख्या–ए-108 (1)/38–2–2010 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।
2— समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3— समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4— **समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उ0प्र0।**
5— महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
6— ग्राम्य विकास अनुभाग–1
7— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।